न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 17/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00150

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :–
1. श्रीमति अनिता जाखड़ पत्नी अजयसिंह जाखड़ निवासी नारवा खिचियान, जाखड़ों की ढ़ाणी, तहसील व जिला जोधपुर 2. श्रीमति मूमल कंवर पत्नी रोहित राजसिंह जाति राजपूत, निवासी–1, कृष्णा कॉम्पलेक्स आर्शीवाद नगर, उदयपुर		1. श्रीमान तहसीलदार पाली, तहसील पाली 2. श्रीमान नायब तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पीएम जोशी
रेस्पोडेंट की ओर से सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 26/8/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नायब तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 22.01.2020 को रजिस्टर्ड बेचाण के आधार पर भरे गए नामान्तरकरण संख्या 3552 दिनांक 22.01.2020 ग्राम डेन्डा तहसील पाली को खारिज कराने हेतु पेश की गई है। जो म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं जैर अपील नामान्तरकरण को तलब किया गया तथा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि ग्राम डेन्डा के खसरा नंबर 1068 रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा भूमी स्थित है। जिसमें 1/5 हिस्सा हेमन्त आसोपा पुत्र रामकिशन आसोपा जाति ब्राहम्ण निवासी बागड़ी मोहल्ला गोगागेट के अन्दर बीकानेर का है उसमें जरिये रजिस्ट्री दिनांक 31.5.2016 को उसका 1/5 हिस्सा अपीलांटगण द्वारा क्रय किया गया था। हेमन्त आसोपा के स्थान पर 1/5 हिस्से का नामान्तरकरण खरीददारों की ओर से रजिस्टर्ड बेचाण की फोटो प्रति देकर पटवार हल्का से नामान्तरकरण भरने हेतु निवेदन किया पटवार हल्का द्वारा 15.6.2016 को नामान्तरकरण संख्या 3532 भरकर भू अभिलेख निरीक्षक रूपावास के समक्ष पेश किया। उन्होंने मूल दस्तावेजा के साथ पेश करने का नोट दिनांक 04.12.2017 को लिख दिया। पटवार हल्का के साथ जाकर मूल दस्तावेज भू अभिलेख निरीक्षक रूपावास को बताकर संतुष्ट कर दिया तथा नामान्तकरण सरपंच ग्राम पंचायत डेण्डा के समक्ष पेश किया तथा सरपंच ग्राम पंचायत डेण्डा ने हस्ताक्षर कर दिए लेकिन नामान्तरकरण पर स्वीकृत अस्वीकृत बाबत कुछ नहीं लिखा। उसी नाामन्तरकरण को नायब तहसीलदार पाली ने बिना क्रेता को नोटिस दिए अथवा सुने हुए ओ. के. तहसील पाली की रिपोर्ट व दिनांक 17.6.16 व आरएलआर की रिपोर्ट 04.12.2017 के बाबत असल दस्तावेज आज तक प्राप्त नही होने से असल दस्तावेज के मिलान के अभाव में नामान्तरकरण इतनी अवधि तक पेश नही किए है अतः नामान्तरकरण खारिज किया जाता है का नोट अंकित कर दिया असल रजिस्ट्री की फोटोप्रति पत्रावली संलग्न पेश कर दी गई है अतः नामान्तरकरण स्वीकृती कराकर राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं उनकी सत्यप्रति प्रस्तुत कर नामान्तरकरण स्वीकृत फरमाया जाने बाबत [illegible] प्रदान की है।

बहस सुनी गई। पत्रावली [illegible] अपील नामान्तरकरण संख्या 3552 दिनांक 22.1.2020 ग्राम डेण्डा [illegible] लोक अदालत पटवार हल्का डेण्डा पर आयोजित में किया गया। तथा अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज [illegible] फोटोप्रति पेश करने पर किया गया जबकि रजिस्ट्री की एक प्रति सबरजिस्ट्रार द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को बाद निस्पादन के फोटोप्रति प्रेषित की जाती है उसके अनुसार ही नामान्तरकरण भर कर पारित करना चाहिए था इस प्रकार मई 2016 से नामान्तरकरण

क्रमशः.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:43 IST
Reason: SelfAttested

2020 तक नही भरा गया तथा उसके पश्चात भी सरपंच के समक्ष पेश किया गया जिसमें मात्र हस्ताक्षर किए है नामान्तरकरण स्वीकृत अस्वीकृत नहीं लिखा गया तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मूल दस्तावेज के साथ पेश करने का नोट लगाया गया। जो विधिसम्मत नहीं है। पटवार हल्का द्वारा 2018 के भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा नोट अंकित करने के बाद भी अपीलांट गण को पत्र लिखा जाकर उन्हें सूचित कर दस्तावेज नहीं मंगवाये गए एवं 2020 में पुनः तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिन्होंने असल दस्तावेज के अभाव में नामान्तरकरण खारिज कर दिया। लोक अदालत ने नामान्तरकरण पारित करने का अधिकार तहसीलदार को ही होता है लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण को खारिज किया जाने का विधिसम्मत आधार नहीं है। रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति उपपंजियक से भिजवाने के प्रावधानों के बावजूद अपीलांट असल दस्तावेज प्रस्तुत करवाने हतु नोट लगाना तथा 4 वर्षों तक सूचित नहीं कर नामान्तरकरण खारिज करना विधीसम्मतं नहीं माना जा सकता है। पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर उस पर कॉलम संख्या 14 में नोट लगाने का आधार भी दस्तावेज ही है। दस्तावेज की फोटोप्रतियो में भी अपीलांटगण के पते दिए हुए है ऐसी स्थिति में दस्तावेज मंगवाकर भी नामान्तरकरण का इन्द्राज परित करना चाहिए था इस प्रकार खारिज किए जाने को न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। नामान्तरकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार अविवादित था यदि विवादित 135(2) के अनुसार विवादित था तो तहसीलदार, पाली को जांच हेतु पूर्ण कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3552 निरस्त किया जाकर तहसीलदार पाली को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान में सम्बन्धित तहसीलदार ही नामान्तरकरण पारित करने के लिए अधिकृत थे अतः जैर अपील आराजी के क्रेतागण से उनके पक्ष में उपपंजियक पाली द्वारा पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर असल से मिलान कर नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृती की कार्यवाही एक माह में करना सुनिश्चित करे। अपीलांट इसके लिए वांछित दस्तावेज तहसीलदार को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ मय मूल नामान्तरकरण के प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-8-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(Seal: जिला कलक्टर ... राजस्थान)

(signature)
(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:43 IST
Reason: SelfAttested